

इंग्लिश पेशी केने पर
पत्रावली पेशा हुई। वकूलाय फरिफेन
उप./अनुपस्थित। पीठासीन अधिकारी केरे
/अन्य कार्य में व्यस्त पत्रावली अग्रिम
कार्यवाही हेतु दिनांक 27/12/19
को पेश हो।

dr

27 $\frac{12}{19}$

पत्रावली पेशा हुई। वकील प्रार्थी उपरो/उक्त
में बहस वकील प्रार्थी सुनी गयी। उपरो
वाजदापरी से सम्बन्धित मूल उपरो टी. आई.
का अवलोकन किया गया। चूंकि मूल उपरो
टी. आई. में सुनवाई हेतु निम्न तारीख पेशी
पर वकील प्रार्थी अथवा पक्षकारान में से किसी
के दायित्व अवालन नहीं आये पर उपरो टी. आई.
अदन दायिती एवं अदन पैरवी में खारिज
किया गया था। दौराने बहस वकील प्रार्थी ने
संस्था कोई सारबुत तथा प्रकट नहीं किया जो
वकील प्रार्थी अथवा पक्षकारान की व्यापारिक
हाला में अनुपस्थिति का युक्ति युक्त कारण पेश
हो। अतः उपरो वाजदापरी का अनुन पोषण
नहीं होने के कारण इसी स्तर पर खारिज किया
जाता है। पत्रावली केवल शुभाह दौका नम्बर
से रुक हो तथा बहस तकमिल दखित उपरो
dr

तारीख
हुक्म

हुक्म या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज

दो। यह निर्णय आद विनांक 27/12/19
को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में हुआ था

गन्ना।



(श्री) श्री (सिंह)

सहायक कलेक्टर
(फास्ट ट्रेक) खण्डेला